



2026:AHC: 3951

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19551 वर्ष 2025

विष्णा देवी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुरेन्द्र कुमार वर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह मृतक संतोष कुमार की माता हैं, जो 12.11.2006 से उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में कर्मचारी थे और जिन्हें 31.01.2048 को सेवानिवृत्त होना था, हालांकि, 16.08.2025 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता अपने पुत्र पर आश्रित हैं और वह भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, बीमा, पारिवारिक पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण की मांग कर रही है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, लखनऊ, जिला लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, लखनऊ, जिला लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात, प्रतिवादी संख्या 2 यह सुनिश्चित करने के बाद कि याचिकाकर्ता कानूनी वारिस हैं या नहीं, तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।
5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।